

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

प्रकरण संख्या :-

राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ

श्री पुरुषोत्तम लाल सैनी (न्यायिक सदस्य)
डॉ. शिव प्रसाद सिंह (सदस्य)

आदेश

दिनांक: 10-5-2025

हस्तगत पत्रावली आज दिनांक 10-5-2025 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष प्रस्तुत हुई।

हस्तगत प्रकरण धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित आदेश की निगरानी से संबंधित है। पत्रावली पर अधीनस्थ न्यायालय के मूल दावे के निस्तारित होने की प्रति उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में जबकि मूल प्रकरण का निस्तारण हो चुका है तो इस निगरानी याचिका को लंबित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण सारहीन होने से लोक अदालत की भावना से खारिज कर निस्तारित किया जाता है।

परिणामतः हस्तगत निगरानी याचिका सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(पुरुषोत्तम लाल सैनी)
सदस्य